

समाहरणालय लखीसराय।

(जिला परिवहन शाखा)

आदेश

परिवहन विभाग, बिहार पटना के सं0स0-30/प्र0 बजट आवंटन (3055)-02-12/2019 विभागीय स्वीकृत्यादेश-156/दिनांक-10.04.2019 एवं ज्ञाप सं0-30/दिनांक-11.04.2019 के द्वारा वित्तीय वर्ष-2019-20 में "मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" के अन्तर्गत परिवहन विभाग, बिहार पटना द्वारा संचालित मुख्य मंत्री ग्राम परिवहन योजना हेतु इस जिले को कुल-5400000 (चौवन लाख) रु0 का स्वीकृत्यादेश प्राप्त है।

जिसे अधोलिखित पदाधिकारी को उनके नाम के सामने स्तम्भ 3, 4 एवं 5 में अंकित राशि को आवंटित किया जाता है।

क्रम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	मुख्य शीर्ष-3055-सड़क परिवहन उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-199-अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता उप शीर्ष-0101-मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड-47-305500199 0101 विषय शीर्ष-01013301 सब्सीडी	मुख्य शीर्ष-3055-सड़क परिवहन उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उप शीर्ष-0101-मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड-47-305500789 0101 विषय शीर्ष-01013301 सब्सीडी	मुख्य शीर्ष-3055-सड़क परिवहन उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना उप शीर्ष-0101-मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड-47-305500 7960101 विषय शीर्ष-01013301 सब्सीडी	कुल योग
1	2	3	4	5	6
01	लखीसराय	1,00,000	5,00,000	—	6,00,000
02	सूर्यगढा	7,00,000	5,00,000	—	12,00,000
03	बड़हिया	5,00,000	5,00,000	—	10,00,000
04	हलसी	1,00,000	5,00,000	—	6,00,000
05	चानन	3,00,000	2,00,000	3,00,000	8,00,000
06	रामगढ चौक	3,00,000	4,00,000	2,00,000	9,00,000
07	पिपरिया	2,00,000	1,00,000	—	3,00,000
	कुल योग-	22,00,000	27,00,000	5,00,000	54,00,000

आवंटित राशि की निकासी स्वीकृत्यादेश संख्या-156, दिनांक-10.04.2019 में आदेश के आलोक में किया जाय।

उपावंटित राशि की निकासी में वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत घाट्य में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया कि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

आवंटित राशि का भुगतान पुरी छान-बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया यदि कोई छदमपूत्र या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन अधिकारी की होगी।

आवंटित राशि की निकासी कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड विपत्र माँग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें ताकि महालेखाकार के लेखा संधारण समूचित ढंग से हो सके।

लाभुको को आवंटित राशि का भुगतान प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा विभागीय गजट संख्या-823, दिनांक-05.09.2018 के आलोक में पुरी छान-बीन एवं आवश्यक जाँच के उपरांत किया जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा की कोई भी छदमपूर्ण या अनियमित रही हो। अनुदान की राशि लाभुक के खाते में अंतरित करने के पूर्व लाभुक से चयनित निबंधन पुस्त बीमा से संबंधित कागजात एवं विक्रय पत्र प्राप्त किये जाएंगे। यदि वाहन किन्तु किसी वित्त पोषण संस्था से ऋण लिया गया हो तो इस आशय का स्वघोषणा पत्र लिया जाय की अनुदान की राशि का उपयोग वित्त पोषण संस्था से ऋण लिया गया हो तो इस आशय का स्वघोषण पत्र लिया जाय की अनुदान की राशि का उपयोग वित्त पोषण करने वाली संस्था के ऋण भुगतान में किया जायेगा।

आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार सहित-2011 के नियमों के आलोक में की जायेगी।

आवंटित राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ स्वीकृत नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पुर्णतः संतुष्ट के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जायेगी अन्यथा किये गए भुगतान की सारी जबाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

आवंटित राशि का उपयोग होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाय। राशि की निकासी से संबंधित टी0भी0 नम्बर, तिथि एवं कोषागार के नाम सहित विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा निकासी की गयी राशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से लाभुक के खातों में आंतरित की जायेगी।

ह0
जिला पदाधिकारी,
लखीसराय।

ज्ञापांक-.....५.७.११/परि०, लखी०, दिनांक-15.05.19

प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, लखीसराय जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, लखीसराय समाहरणालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस आवंटन आदेश को लखीसराय के वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमण्डल मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को उनके सं०सं० 03/प्र०-बजट आवंटन (3055)

-02-12/2019 स्वीकृत्यादेश सं०-156/दिनांक-10.04.2019 एवं ज्ञापांक सं०-30/ दिनांक-11.04.2019 के आलोक में सादर सूचनार्थ प्रेषित।


जिला पदाधिकारी
लखीसराय।